राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 5368/2022

बबीता चौधरी —अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) और अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रभारी, उपकेन्द्र मांझी, भरतपुर।
4. कमला देवी, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, वर्तमान में अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित उपकेन्द्र मांझी, भरतपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.10.2022
आदेश की दिनांक : 22.12.2022

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री दिलीप सिंह कुरका, अभिभाषक

समक्षः– मातादीन शर्मा, सदस्य
एम.एस.काला, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित आधारों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर उपकेन्द्र मांझी, भरतपुर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 14.10.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से उप स्वास्थ्य केन्द्र, हींगवा, सिकराय, दौसा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 के स्थान पर किया गया तथा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान समंजित (Accommodate) करने के लिए किया गया है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 15.06.2022 (अनुलग्नक–2) के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नदबई से उप स्वास्थ्य केन्द्र, हींगवा, सिकराय, दौसा किया गया था। जहां निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 ने कार्यभार भी ग्रहण कर लिया था। इसके बावजूद तीन माह पश्चात ही निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का स्थानान्तरण अपीलार्थी के स्थान पर किया गया, जिसके कारण अपीलार्थी का स्थानान्तरण हुआ। अपीलार्थी के पति के दोनों टांगे टूट गई है, जिसके कारण वह चल फिर नहीं सकते है। उनकी गहन देखभाल जरूरी है एवं अपीलार्थी की सास ह्रदय रोग से पीड़ित है (अनुलग्नक–3)। जिनकी देखभाल करने वाला अपीलार्थी के अलावा कोई नहीं है। उनका यह कहना है कि अपीलार्थी अंतरित कार्मिक है और आक्षेपित आदेश राजस्थान

पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8 (iii) के उल्लंघन में है। उनका तर्क है कि उक्त नियम के तहत् एक जिले से दूसरे जिले में अपीलार्थी का स्थानान्तरण पंचायती राज विभाग की पूर्व स्वीकृति/सहमति से ही किया जा सकता है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रत्यर्थी विभाग के आलोच्य आदेश दिनांक 14.10.2022 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को निरंतर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर उपकेन्द्र मांझी, भरतपुर में कार्य करने दिया जावे तथा वेतन एवं समस्त पारिणामिक लाभ दिए जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 14.10.2022 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है। आलोच्य आदेश प्रशासनिक कारणों से सक्षम अधिकारी द्वारा लोकहित में जारी किया गया है। अपीलार्थी का मुख्य आक्षेप है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण पंचायती राज विभाग की सहमति के बिना किया गया है। प्रकरण से संबंधित रिकार्ड, तथ्यों एवं संबंधित आदेषों/निर्देषों की स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान में राजस्थान सरकार मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा जारी विज्ञप्ति क्रमांकः प. 11(1)मं.मं./2008 दिनांक 22.11.2021 के द्वारा राज्य सरकार ने विभागों का वितरण करते हुए प्रत्येक मंत्री को उसके नाम के सम्मुख अंकित विभागों का कार्यभार सौंपा है, जिसमें पंचायती राज के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का स्वतंत्र प्रभार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री को ही सौंपा गया है। राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम–8(iii) के अनुसार स्वीकृति/सहमति पंचायती राज विभाग से ली जानी होती है, इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पिटिषन संख्या 8828/2022 रविन्द्र कुमार टेलर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.09.2022 में यह माना गया है कि "as the Division Bench has approved the transfers, on account of consent granted by the Minsiter for Medical and Health Services, Government of Rajasthan, who has been given independent charge of Medical and Health services under the Panchayati Raj Department, which has been held as sufficient, the same would suffice." ..... "Further, the said consent can only suffice in cases of inter-district transfers in terms of Rule 8(iii) of the Rules of 2011, which requires consent of the Panchayati Raj Department for effecting inter district transfers."

इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 10769/2022 हीरालाल ताबीयार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश

दिनांक 27.09.2022 में यह माना गया है कि "that The respondents are under obligation to comply with the provisions of Rule 8(iii) of the Rules of 2011 and are required to specifically seek approval of the concerned minister, even if the minister is same for both the Departments"

इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी. बी. स्पेशल अपील रिट संख्या 284/2022 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम रेखा कुमारी में पारित आदेश दिनांक 17.08.2022 में राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) की पालना हेतु राज्य सरकार के विभाग द्वारा की गई कार्यवाही को पर्याप्त माना जाकर राज्य सरकार की अपील स्वीकार की गई है। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 8828/2022 रविन्द्र कुमार टेलर बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, एसबी सिविल रिट पिटिशन संख्या 10796/20022 तथा डीबी स्पेशल अपील रिट संख्या 284/2022 में पारित आदेशों में यह माना गया है कि राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8(iii) की पालना हेतु पंचायती राज के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री (Minister) का अनुमोदन होना आवश्यक है। इस प्रकार एक जिले से दूसरे जिले में किए जाने वाले स्थानांतरणों के लिए अनुमोदन हेतु सक्षम स्तर पंचायती राज के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (स्वतंत्र प्रभार) मंत्री (Minister) है। आलोच्य स्थानांतरण आदेश के बिन्दु संख्या 8 में अंकित है कि "मंत्रिमण्डल सचिवालय राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प. 11 (1 एमएम)/2018 जयपुर, दिनांक 22.11.2021 के द्वारा चिकित्सा मंत्री महोदय को पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग का स्वतंत्र प्रभार आंवटित है। उक्त आदेश माननीय मंत्री महोदय से अनुमोदित है।" जब पंचायती राज विभाग के अधीनस्थ चिकित्सा एवं स्वास्थ्य का स्वतंत्र प्रभार चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री के पास ही है, तथा आलौच्य आदेश के संबंध में मंत्री (Minister) महोदय का अनुमोदन होना आलौच्य आदेश में ही अंकित है। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त समस्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए प्रथम दृष्टया राजस्थान पंचायती राज (अन्तरित क्रियाकलाप) नियम, 2011 के नियम 8 (iii) के उल्लंघन की स्थिति प्रतीत नहीं होती है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक.....को हमारे द्वारा लिखाया जाकर मुद्रांकित एवं हस्ताक्षरित कर उद्घोषित किया गया।

(एम.एस.काला)
सदस्य

(मातादीन शर्मा)
सदस्य